(SHRI K. V. THANGKA BALU: Under the twenty-point programme, against the target of 90,000 families under the poverty alleviation programme; during 1992-93, the coverage was 99,760 families. During 1993-94 the target was 96,000 families. We have achieved, till October, 62,780 families. This is the highest achievement we have made. ...(*Interruptions*)...

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: How can you clap? ...(Interruptions)...

SHRI MENTAY PADMANABHAM: All these figures are cooked up. They are supplied by the corrupt officers at the ground level.

SHRI K. V. THANGKA BALU: You have no done anything. We have done a good thing. That's why you are afraid.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTION

Conversion of automatic operation system into manual system at Rourkela Steel Plant

*221. SHRI GAYA SINGH: Will the Minister of STEEL be pleased to state:

(a) whether it is a fact that in the second captive power plant of Rourkela Steel Plant, the total Automatic Operation System has been converted into a manual system; and

(b) if so, the details thereof and the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STEEL (SHRI SONTOSHI MOHAN DEV): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

राष्ट्रीय महिला कोष का संचालन-मंडल

*225. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय महिला कोष के प्रथम संचालन-मंडल का गठन किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस कोष के मुख्य उद्देश्य क्या हैं और इस कोष को सरकार ने कितनी वार्षिक धनराशि आवंटित की है ;

(ग) इस कोष का कार्यकाल कितना है और क्या इस कोष के संचालन-मंडल के सदस्यों का चुनाव हर साल होगा; और

(घ) संचालन-मंडल में वर्तमान वर्ष के लिए नियुक्त सदस्यों के नाम क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) सरकार ने राष्ट्रीय महिला कोष के प्रथम शासी बोर्ड का गठन कर दिया है।

(ख) कोष के उद्देश्य विवरण-1 के रूप में संलग्न हैं। सरकार ने वर्ष 1992-93 के दौरान सहायता अनुदान के रूप में कोष के लिए 31 करोड़ रु० की कोरपस धनराशि संस्वीकृत और वितरित की है। चालू वर्ष के दौरान, कोष का लक्ष्य 8 करोड़ रु० ऋण के रूप में देना है।

(ग) और (घ) यह कोष एक स्थायी निकाय है, जो कि सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है। कोष का प्रबंधन 15 सदस्यों वाले एक शासी बोर्ड द्वारा किया जायेगा। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कोष की पदेन अध्यक्षा हैं जबकि केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों के पांच अन्य वरिष्ठ अधिकारी उसके पदेन सदस्य हैं। शासी बोर्ड के सात गैर-सरकारी सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतः